राजस्थान सरकार

सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, झालावाड़

प्रेस समाचार

हेलमेट नहीं लगाने पर होगी कार्यवाही

झालावाड़ 21 मई/ जिला कलक्टर बिष्णु चरण मल्लिक ने एक आदेश जारी कर जिले के सभी जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय कार्यालय के अधिकारियों, कार्मिकों एवं विद्यालय के अध्यापकों इत्यादि को अब दो पहिया वाहन चलाते समय सुरक्षा की दृष्टि से हेलमेट का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है।

जिला कलक्टर के आदेशानुसार यदि कोई अधिकारी, कर्मचारी या अध्यापक वर्ग दो पहिया वाहन चलाते समय बिना हेलमेट के पाया जाता है तो उनके विरूद्ध विभागीय अधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा विभागीय अधिकारी द्वारा कार्मिक के विरूद्ध कार्यवाही नहीं करने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कलेक्ट्रेट कार्यालय द्वारा कार्यवाही की जाएगी।